

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 15/2018

दायर तारीख 05.04.2018

अनवान

भूरी पत्नी मांगीलाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

.....वादीगण

बनाम

- (1) भंवरलाल पिता भेरूलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला (मृतक) वारिसान
- 1/1 देबीलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी केसरगंज बिजौलिया
- 1/2 मांगीबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली (पत्नि जगदीश) निवासी भेसरोडगढ जिला चित्तौडगढ
- 1/3 प्रेमबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली (पत्नी गोपाललाल) निवासी केसरगंज बिजौलिया
- 1/4 रूपा पुत्री भंवरलाल जाति माली (पत्नी छीतर) निवासी माण्डलगढ
- (2) काना पुत्र भेरूलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी बिजौलिया
- (3) सुगना पत्नि प्रताप जाति कराड उम्र बालिग निवासी उदपुरिया
- (4) राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य - अधिवक्ता वादीगण  
2. श्री छीतरलाल धाकड़ - अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 रा0टि0एक्ट

निर्णय

दिनांक 24/5/2023

वादिया द्वारा अर्न्तगत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने बांद जांच सिगे से प्राप्त होने पर वादपत्र दर्ज योग्य पाने से दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये व प्रतिवादीगण को सम्मन के तलब किया गया।

वादिया के वादपत्र अनुसार मोजा नयागंव पटवार हल्का जावदा स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0न0 983/2 रकबा 17 बिस्वा वादिया द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 5-9-2005 को क्रय की जाकर विक्रेता से क्रय कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया। वादिया क्रय दिनांक से अपने द्वारा क्रय भूमि पर जरिये काश्त के काबिज चली आ रही है। विक्रय की गयी कृषि भूमि के खातेदार विक्रेता को आराजी खसरा न0 983/2 रकबा 17 बिस्वा को वादिया को भूमि विक्रय कर कब्जा देने बाद अन्य को भूमि विक्रय कर उसका कब्जा देने का अधिकार विक्रेता खातेदार के पास नहीं रहा।

प्रतिवादी 1 व 2 ने वादग्रस्त जायदाद का वादिया को कुलिया भूमि विक्रय करने के बावजूद उसका बटवाडा करा ख0न0 983/2/2 रकबा 7 बिस्वा प्रतिवादी सख्या एक ने अपने नाम व ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा प्रतिवादी न0 दो ने अपने नाम पर करवा ली।

प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को अपने द्वारा वादिया को वादग्रस्त जायदाद बाबत किये गये विक्रयपत्र की जानकारी होते हुये वादग्रस्त जायदाद को विधि अनुचित व दोहरा मूलतः शून्य प्रभावी विक्रय दिनांक 21-3-2006 के जरिये प्रतिवादी सख्या 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी सख्या 2 ने जब वादग्रस्त जायदाद का विक्रय प्रतिवादी सख्या 3 को दिनांक 21-3-2006 को किया तब न तो उसके पास वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा था न ही भूमि के विक्रय के अधिकार थे वादिया के पक्ष में प्रतिवादी सख्या 1 व 2 द्वारा किये गये विक्रय दिनांक 5-9-2005 को उनके कृषि के अधिकार वादिया में निहित हो गये। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 ने वादिया को किये गये विक्रय के पश्चात उनके नाम भूमि दर्ज रहने का आर्थिक लाभ उठाने के लिए प्रतिवादी सख्या 2 काना ने प्रतिवादी सख्या 3 के पक्ष में पश्चातवर्ती अवेध विक्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 का निष्पादन किया किन्तु इस क्रयपत्र से प्रतिवादी सख्या 3 को कोई खातेदारी अधिकार व कब्जा नहीं मिला। माह अप्रैल 2009 में जब वादीया अगली फसल की बुआई हेतु भूमि तैयार करने गयी तो प्रतिवादी सख्या 3 ने वादिया के काश्त करने में वादग्रस्त भूमि की हकाई से रोक दिया एवम अपने पास विक्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 का होना बताने पर वादिया ने वादग्रस्त जायदाद बाबत उसके पक्ष में किये गये प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के विक्रयपत्र की दिनांक 5-9-2005 जिसका पंजीयन दिनांक 08.12.2005 को उप पंजीयक बिजौलियां के यहां हुआ। बाबत बताया जिसे उसने मानने से इन्कार कर दिया इसलिए वादिया ने उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण उपखण्ड न्यायालय माण्डलगढ से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन से तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण 1 से 3 न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इस कारण दिनांक 09.03.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये। दिनांक 21.07.2011 को अधिवक्ता श्री छीतरलाल जी धाकड द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 दिवानी प्रक्रिया संहिता का पेश किया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा अनापति जाहिर करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादिया संख्या 03 के पक्ष में दो तरफा के आदेश पारित किये।

प्रतिवादीया संख्या 3 ने अपने अभिभाषक छीतरलाल धाकड के माध्यम से उपस्थित हो जवाबदावा पेश कर जवाब दावे मे अभिवचन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने सम्पूर्ण रूप से दर्ज खाते की भूमि को प्रतिवादीया संख्या 3 को विक्रय कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी जमीन का बटवाडा करवा जमीन को अलग अलग दर्ज करवा ली। प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 से प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है और उसके द्वारा भूमि का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद भी हो चुका है।

कि प्रतिवादी संख्या 3 ने वैध रूप से भूमि क्रय कर अपने नाम पर दर्ज अभिलेख करवायी है। दिनांक 21-03-2006 से प्रतिवादी संख्या 3 अपनी कय सुदा भूमि का जरिये काशत कर उपयोग उपमोग कर रही है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा क्रय की गयी भूमि अवैध नहीं है।

वादी ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के क्रम मे वादग्रस्त जायदाद के खाते की नकल व विक्रयपत्र दिनांक 05-09-2005 की प्रति जिसका पंजीयान दिनांक 08.12.2005 को हुआ प्रस्तुत की।

कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना क्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 पेश किया।

दावे जवाब दावे एवम दस्तावेज के आधार न्यायालय ने निम्न तनकियात कायम की।

1. आया वादिया मोजा नयागाव पटवार हल्का जावदा स्थित खसरा संख्या 983/2 रकबा 17 बिस्वा जरिये क्रयपत्र दिनांक 5-9-2005 से खातेदार है इसलिए वादिया को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाना वैध है।

जिम्मे वादिया

2. आया प्रतिवादी न0 2 द्वारा आराजी खसरा न0 983/2 का दर्ज हिस्सा ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा को पश्चातवर्ती विक्रय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को हस्तांतरित किया जाना मूलतः अवैध है।

जिम्मे वादिया

3. आया वादिया ख0न0 983/2/1 व 983/2/2 कुलिया भूमि 17 बिस्वा की विक्रयपत्र दिनांक 5-9-2005 के आधार पर खातेदारी पाने की अधिकारिणी है।

जिम्मे वादिया

4. आया प्रतिवादी क्रेता दिनांक 21-3-2006 से वादग्रस्त जायदाद पर काबिज है।

जिम्मे प्रतिवादी न0 3

5. आया वादिया द्वारा वादग्रस्त जमीन का लगान जमा नहीं के कारण वादपत्र पोषणीय नहीं है

जिम्मे प्रतिवादी प0 3

6 अनुतोष

वादिया पी.डब्ल्यू 1 के अतिरिक्त पी.डब्ल्यू 2 लादू, पी.डब्ल्यू 3 बाबूलाल, पी.डब्ल्यू 4 छीतरलाल के बयान करवाये।

वादिया ने अपने बयानो द्वारा भंवरलाल व काना पिता भेरु माली से जमीन खरिदी उसकी जमाबन्दी प्रदर्श एक असल विक्रय जिस पर विक्रेता भंवरलाल काना पिता भेरुमाली के फोटो लगे है प्रदर्श 2 साथ ही बाद की जमाबन्दी प्रदर्श 3 व प्रदर्श 4 पेश करना बताया है साथ कथन किया है प्रतिवादीगण अभी मुझे परेशान कर रहे वादिया ने प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर खोला गया नामान्तरण को प्रदर्श 5 से प्रदर्श करवाया है उक्त नामान्तरण प्रतिवादीया संख्या 3 ने बटवाडे के पश्चात काना पिता भेरु माली की बटवाडा से 4 बीधा 15 बिस्वा प्राप्त भूमि खरिदने का पृष्ठाकन है जिसमे वादिया की कय सुदा भूमि ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा भी सम्मिलित है।

इस गवाह ने अपने वाद व साक्ष्य के समर्थन मे गवाह लादू बाबूलाल व छीतर के बयान करवाये।

प्रकरण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम को सम्मन प्रेषित किये गये बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से सभी के विरुद्ध एक तरफा के आदेश पारित हुए। इसके पश्चात् संशोधित शीर्षक पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।



दौराने वाद दिनांक 21.03.2018 को वादी एवं उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादपत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज कर दिया गया। दिनांक 05.04.2018 को अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादपत्र को पुनः नम्बर पर ले पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

वादीया की साक्ष्य बन्द होने के बाद प्रतिवादी ने अपने स्वयं डी.डब्ल्यू एक के अतिरिक्त डी.डब्ल्यू 2 प्रताप कराड निवासी उदपुरिया व डी.डब्ल्यू 3 पकज कुमार निवासी बिजोलिया के बयान करवाये। जिन्होंने प्रतिवादीया सुगना द्वारा अपने क्रयपत्र को प्रदर्श डी 1 प्रदर्श करवाया है व प्रस्तुत रेकॉर्ड प्रदर्श डी 2 लगवाया।

प्रतिवादीया के द्वारा प्रस्तुत गवाह डी.डब्ल्यू 2 प्रताप कराड प्रतिवादीया का पति है व डी. डब्ल्यू 3 पंकज कुमार जो विक्रयपत्र प्रदर्श ए 1 का पंजीयन के समय उपस्थित रहा गवाह है जो बिजोलिया रहने वाला है। दोनो पक्षो के गवाहन ने अपने अपने पक्ष की साक्ष्य दी।

दौनो पक्षो की साक्ष्य बन्द होने के बाद पक्षकारान के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गयी।

वादिया के अभिभाषक ने बहस के समय निवेदन है कि वादिया भूरी ने 17 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के क्रय की है इसके फर्जी होने की विक्रेता जो कि प्रतिवादी सख्या 1 व 2 है उन्होने न जवाब पेश कर एवम न अपने को साक्ष्य मे पेश कर विक्रयपत्र प्रदर्श 2 को फर्जी होने का कथन नही किया है न ही प्रतिवादीया सख्या 3 ने वादीया के पक्ष मे विक्रयपत्र को फर्जी होने का कथन कर उस बाबत साक्ष्य दी है। इसलिए वादीया के पक्ष का विक्रयपत्र निर्विवाद सिद्ध हुआ है।

वादिया ने अभिभाषक का यह भी बहस के समय कानूनी जानकारी मे लाया गया है कि यदि विक्रयपत्र मे कब्जा देने का विवरण अंकित है तो अन्य किसी भी साक्ष्य से कब्जे को सिद्ध करवाने की आवश्यकता नही है यह अवधारणा की जायगी कि विक्रय दिनांक से क्रेता द्वारा कय भूमि पर उसका कब्जा विक्रेताओ द्वारा देने से हो गया है इस न्यायिक उदहरण मे पंजीकृत विक्रयपत्र मे कब्जा देने का विवरण है तो अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नही है।

आर.आर. डी 2007 पेज 26

किसी भी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र मे लिखे गये तथ्य ही महत्वपूर्ण है उसकी तुलना मे मोखिक साक्ष्य का कोई महत्व नही है।

आर.आर. डी 1990 पेज 44

वादिया की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यदि एक ही सम्पति के खातेदार ने दो बार दो व्यक्तियों को अलग अलग समय मे बेची है तो जिस व्यक्ति के पास पूर्ववर्ती विक्रयपत्र है तो वही प्रभावी होगा यदि उसके विक्रयपत्र अन्यथा कोई शर्त लगी हुयी नही है। अपने तर्क के सम्बन्ध मे वादिया के अभिभाषक की ओर धारा 48 सम्पति हस्तारण अधिनियम का हवाला दिया जाकर स्पष्ट किया गया कि वादिया के पास वादग्रस्त जायदाद का विक्रयपत्र दिनांक 05-09-2005 का है जबकि प्रतिवादीया सख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत विक्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 का है इसलिए वादिया का विक्रयपत्र पूर्ववर्ती है जिसके तहत विक्रेताओ ने वादिया को वादग्रस्त जायदाद 17 बिस्वा का कब्जा दे दिया जाना उसके विक्रयपत्र मे स्वीकार किया हुआ है इसलिए प्रतिवादीया सख्या 3 के पक्ष मे काना पिता भेरूलाल माली ने जो वादग्रस्त जायदाद 10 बिस्वा भूमि ख0न0 983/2/1 को विक्रय की वह पश्चातवर्ती विक्रय होकर अवेध व शून्य है।

वादिया के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान यह भी स्पष्ट किया है कि वादिया द्वारा ख0न0 983/2 का 17 बिस्वा रकबा कय किया था इसके बाद भी प्रतिवादी नम्बर 02 काना माली ने ख0न0 983/2/2 रकबा 10 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 03 सुगना कराड को विक्रय कर दिया। विवादित भूमि 17 बिस्वा मे से ख0न0 983/2/2 जो खातेदार भंवरलाल पिता भेरूलाल माली के नाम पर दर्ज है उसका कोई विवाद नही है क्योंकि उसका कोई बिकाव वादिया के अलावा किसी को भी नही हुआ है केवल काना पुत्र भेरु माली ने ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा को वादिया को प्रथम विक्रयपत्र दिनांक 05-09-2005 के बाद अपने द्वितीय विक्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 से प्रतिवादीया सख्या 3 को काना माली के नाम बटवाडे से आयी भूमि ख0न0 893/2/1 रकबा 10 बिस्वा को उसने विक्रय कर दिया।

वादिया की क्रय सुदा भूमि 17 बिस्वा मे से 7 बिस्वा अभी भी सुरक्षित होकर भंवरलाल पुत्र भेरु माली के नाम है जिसके खाते से हटायी जाकर वादिया को विक्रय के आधार पर वादिया के नाम दर्ज किया जाना है। जो 10 बिस्वा भूमि पश्चात वर्ती विक्रय से प्रतिवादीया सख्या 3 के नाम दर्ज कर दी गयी उसकी खातेदारी समाप्त की जाकर वादिया के नाम दर्ज किये जाने घोषित किया जाना है जो विधि सम्मत है।

प्रतिवादी सख्या 3 की ओर से अपनी बहस में यह तर्क दिया कि राजस्व अभिलेखों में वादिया के पक्ष में विक्रय के आधार पर क्रियान्वृती नहीं हुयी है पूर्व खातेदारों ने वादिया को भूमि विक्रय ही नहीं की। प्रतिवादीया सख्या 3 ने काना पुत्र भेरु माली से उसके हिस्से की 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि खरिदी थी उसमें ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा सम्मिलित जिस पर उसका कब्जा है। इसलिए प्रतिवादीया सख्या 3 की खातेदारी समाप्त कर ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा की खातेदारी वादीया को दिया जाना विधि सम्मत नहीं है प्रतिवादीया सख्या 3 ने सदभावी क्रेता के रूप में भूमि प्रतिवादी सख्या 2 काना राजस्व अभिलेखों के नाम दर्ज होने से क्रय की है।

इसलिये वादिया किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है। वादपत्र खारिज कराया जावे।

दोनो पक्षों के अभिभाषकों की बहस पर विचार किया व प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। न्यायालय के मत में उक्त प्रकरण में न्यायालय का निर्णय तनकी अनुसार निम्न है।

तनकी नम्बर एक

उक्त तनकी को सिद्ध करवाने का भार वादिया पर है जिसने सिद्ध करवाने के लिए अपने पक्ष में पूर्व खातेदार भंवरलाल काना पिता भेरु माली का पंजीकृत विक्रयपत्र प्रदर्श 2 पेश किया जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पूर्व खातेदारों ने खसरा सख्या 983/2 रकबा 17 बिस्वा का विक्रयपत्र वादिया के पक्ष में लिख उसका पंजीयन करवाया विक्रय राशि प्राप्त की एवम सभी हक हकूको सहित कब्जा दिया। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 जो विक्रेता है उन्होंने न्यायालय द्वारा उनकी तलबी किये जाने पर भी न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब साक्ष्य अथवा किसी दस्तावेज से विक्रयपत्र अपने द्वारा वादिया के पक्ष में निष्पादित विक्रय को गलत अथवा फर्जी होना नहीं बताया है न ही प्रतिवादी सख्या 3 ने ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश की जिससे विक्रयपत्र दिनांक 5-9-2005 का फर्जी अथवा कूटरचित होना साबित हुआ है इसलिए तनकी नम्बर 1 वादिया के पक्ष में निर्णित की जाकर वादिया को अपने द्वारा क्रय भूमि ख0न0 983/2 रकबा 17 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 एवम 3

उक्त तनकी एक दूसरे की पूरक होने से एक साथ निर्णय किया जाना उचित है इन तनकी को सिद्ध करवाने का भार वादिया पर है। न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के प्रस्तुत विक्रयपत्र प्रदर्श 2 एवम प्रदर्श डी 1 का अवलोकन किया गया। यह स्थापित तथ्य है कि वादिया के पक्ष में जो विक्रयपत्र भंवरलाल काना पिता भेरु माली ने दिनांक 5-9-2005 को निष्पादित किया है वह पूर्ववर्ती हो विक्रेताओं द्वारा विक्रयपत्र में वादिया क्रेता को कब्जा देना भी अंकित करवा उसका पंजीयन करवाया है और विक्रय राशि प्राप्त की है जबकि प्रतिवादी सख्या 3 श्रीमति सुगना द्वारा प्रस्तुत विक्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 पश्चातवर्ती विक्रयपत्र है जिस पर धारा 48 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम लागू होता है चूंकि जिस विक्रेता काना पिता भेरु माली ने विक्रयपत्र दिनांक 05-09-2005 से अपने भाई के साथ मिलकर खसरा सख्या 983/2 रकबा 17 बिस्वा भूमि विक्रय कर दी थी इसलिए उसके पास प्रतिवादीया सख्या 3 को उक्त खसरा नम्बर की 10 बिस्वा भूमि विक्रय करने के लिये शेष नहीं थी एवम कब्जा भी उसके पास नहीं था। राजस्व रेकर्ड की त्रुटि पूर्ण इन्द्राज से किसी को भी दुबारा भूमि विक्रय के अधिकार प्राप्त नहीं होते इसलिए प्रतिवादी सख्या 2 काना पुत्र भेरु माली द्वारा दिनांक 21-3-2006 को आराजी ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा के विक्रय की इस न्यायालय के मत में मान्यता नहीं है वादिया ख0न0 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा की खातेदारी पाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीया सख्या 3 के खाते से वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि हटायी जाकर वादिया के नाम भूमि दर्ज किया जाना न्यायालय की दृष्टि में उचित होने से वादिया को उसका खातेदार घोषित किया जाता है तनकी सख्या 2 व 3 का निर्णय वादिया के पक्ष में किया जाता है।

तनकी न0 4

इसको सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीया सख्या 3 पर है किन्तु जो साक्ष्य आयी एवम दस्तावेज पेश हुये है वादग्रस्त जायदाद के पूर्व खातेदारान भंवरलाल काना पुत्र भेरु माली ने विक्रयपत्र दिनांक 5-9-2005 प्रदर्श 2 का निष्पादित वादिया के पक्ष में किया है उसमें दोनो ने अपने द्वारा वादिया को विक्रय की गयी भूमि का कब्जा देना स्वीकार कर रखा है प्रतिवादी सख्या 3 की किसी साक्ष्य में यह स्थापित नहीं हुआ है कि एक बार कब्जा क्रेता को देने बाद किस प्रकार वापस कब्जा विक्रेता को प्राप्त हो गया ओर उसे उसी खसरा नम्बर के रकबे में 10 बिस्वा भूमि विक्रय अधिकार प्राप्त हो गया हो। साथ ही प्रतिवादीया संख्या 03 सुगना के पती प्रताप कराड़ ने स्वयं उपस्थित होकर बयान दिये और

कहा कि यह सही है कि वादिया ने एक बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है जिसे हम हटाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति के पश्चातवर्ती विक्रयपत्र दिनांक 21-3-2006 प्रतिवादीया संख्या 3 का कब्जा दिये जाने के तथ्य के लिए मददगार नहीं है इसलिए कानून की दृष्टि से प्रतिवादीया संख्या 3 के कब्जे में वादग्रस्त खसरा संख्या 983/2/1 रकबा 10 बिस्वा का होना नहीं माना जा सकता है यह तनकी प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी न0 5 इस तनकी को सिद्ध करवाने का भार प्रतिवादीया न0 3 पर है। ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 3 ने पेश नहीं किया है कि उसने लगान जमा कराया हो इसके अतिरिक्त लगान नहीं जमा नहीं कराने से किसी की खातेदारी समाप्त हो जाती हो ऐसा कोई प्रावधान न्यायालय की जानकारी में प्रतिवादीया न0 3 की ओर से नहीं लाया गया है इसलिए इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीया संख्या 3 के विरुद्ध किया जाता है।

**:- आदेश :-**


चूँकि तनकी न0 1 से 3 का निर्णय वादिया के पक्ष में व तनकी न0 4 व 5 का निर्णय प्रतिवादीया संख्या 3 के विरुद्ध किया गया है इसलिए वादिया के पक्ष में वादपत्र डिकी किया जाता है।


वादिया को मोजा नयागाव पटवार हल्का जावदा स्थित खसरा न0 982/2 रकबा 17 बिस्वा जिसके बटवाडा होने से ख0न0 983/2/2 रकबा 7 बिस्वा प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर दर्ज थी जिसके वर्तमान न0 983/2 रकबा 0.0567 हेक्टर दर्ज होकर प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के पुत्र देबीलाल के नाम दर्ज अभिलेख है जो पक्षकार मुकदमा है। व ख0न0 982/2/1 रकबा 10 बिस्वा जो काना पुत्र भेरू माली को बटवाडे में दी गयी जिसका उसके द्वारा प्रतिवादीया संख्या 3 को विक्रय कर दिये जाने से राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमति सुगना देवी पत्नि प्रताप कराड निवासी उदपुरिया जिसके वर्तमान आ0न0 983/4 रकबा 0.0809 हेक्टेयर के नाम दर्ज है जो दोनों ही खसरा नम्बरान की खातेदारी दर्ज खातेदारान के नाम से समाप्त की जाकर वादिया को उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया के खाते में दोनों नम्बरान रकबे अनुसार दर्ज किये जाने की डिकी प्रदान की जाती है।

वादिया के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 के विरुद्ध इस आषय की जारी की जाती है कि वे वादिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं उसे विवादित जायदाद से जबरन बेदखल नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 24 / 5 / 2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जि भीलवाडा

  
(सीमा तिवाड़ी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जि भीलवाडा

**मूल वाद में डिक्री**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)**  
**बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी**

राजस्व प्रकरण संख्या 15/2018

दायर तारीख 05.04.2018


अनवान

भूरी पत्नी मांगीलाल जाति कुम्हार उम्र बालिग निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

- (1) भंवरलाल पिता भेरूलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी बिजौलिया कला (मृतक) वारिसान  
1/1 देबीलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी केसरगंज बिजौलिया
- 1/2 मांगीबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली (पत्नि जगदीश) निवासी भेसरोडगढ जिला चित्तोडगढ
- 1/3 प्रेमबाई पुत्री भंवरलाल जाति माली (पत्नी गोपाललाल) निवासी केसरगंज बिजौलिया
- 1/4 रूपा पुत्री भंवरलाल जाति माली (पत्नी छीतर) निवासी माण्डलगढ
- (2) काना पुत्र भेरूलाल जाति माली उम्र बालिग निवासी बिजौलिया
- (3) सुगना पत्नि प्रताप जाति कराड उम्र बालिग निवासी उदपुरिया
- (4) राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया



निर्णय दिनांक : 24/05/2023

डिक्री दिनांक : 24/05/2023


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री छीतरलाल धाकड़ हुकम दिया जाता हैं। कि वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादिया को मोजा नयागाव पटवार हल्का जावदा स्थित खसरा न0 982/2 रकबा 17 बिस्वा जिसके बटवाडा होने से ख0न0 983/2/2 रकबा 7 बिस्वा प्रतिवादी सख्या एक के नाम पर दर्ज थी जिसके वर्तमान न0 983/2 रकबा 0.0567 हेक्टर दर्ज होकर प्रतिवादी सख्या 1 भंवरलाल के पुत्र देबीलाल के नाम दर्ज अभिलेख है जो पक्षकार मुकदमा है। व ख0न0 982/2/1 रकबा 10 बिस्वा जो काना पुत्र भेरू माली को बटवाडे मे दी गयी जिसका उसके द्वारा प्रतिवादीया सख्या 3 को विकय कर दिये जाने से राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी सख्या 4 श्रीमति सुगना देवी पत्नि प्रताप कराड निवासी उदपुरिया जिसके वर्तमान आ0न0 983/4 रकबा 0.0809 हेक्टेयर के नाम दर्ज है जो दोनो ही खसरा नम्बरान की खातेदारी दर्ज खातेदारान के नाम से समाप्त की जाकर वादिया को उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया के खाते मे दोनो नम्बरान रकबे अनुसार दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की जाती है।

वादिया के पक्ष मे रथाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण कमाक 1 से 3 के विरूद्ध इस आषय की जारी की जाती है कि वे वादिया के कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नही करें एवं उसे विवादित जायदाद से जबरन बेदखल नही करें। राजस्व रेकर्ड मे तदनुसार अंकन किया जावें। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें। डिक्री मुर्तिब हों।

**उपखण्ड अधिकारी**  
**बिजौलियां जिला भीलवाड़ा**

Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत ..... Nil .....खर्चा  
मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से  
तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24-माह 05 वर्ष 2023 को जारी  
किया गया।

  
(सीमा तिवाड़ी)

उपखण्ड अधिकारी


बिजौलियां

उपखण्ड अदालत

बिजौलियां जि भीलवाडा।

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ( )	-		महनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



  
(सीमा तिवाड़ी)

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जि भीलवाडा।